



C.A. 6. 7. 58

RM/5-2172/1148195

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र० क्र० 144 पुनरीक्षाण

मुन्नी बाई पत्नी धीरजसिंह खुवंशी
निवासी ग्राम बमनावर तहसील ईसागढ
जिला गुना ----- आवेदक
विह्व

राजाराम आत्मज मैरोसिंह राजपूत
निवासी ग्राम पचलाना हाल निवासी
ग्राम बमनावर तहसील ईसागढ जिला गुना
----- अनावेदक

क्रमांक
श्री. सरस्वती देवी राजपूत 25.11.95
अभिभाषक द्वारा आगत दिनांक
को प्रस्तुत मो. प्र. 25.11.95
दत्तक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग वदारा प्रकरण क्रमांक
2143-48 पुनरीक्षाण में पारित आदेश दिनांक 21-2-44
के पुनरीक्षाण हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 40 मू राजस्व
संहिता 1444.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षाण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

- (1) यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित तथा प्रकरण के अमिलेस के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।
- (2) यह कि आवेदक के हित में तहसील न्यायालय ने विधि अनुसार कार्यवाही करने के पश्चात ग्रामों की दखल रहित भूमि ----- अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का व्यवस्थापन किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी को तहसील आदेश के विह्व अपील सुनने का विचाराधिकार नहीं है और न ही तहसील न्यायालय का आदेश अपील योग्य है। इस वैधानिक बिन्दु पर अपर आयुक्त महोदय वदारा निकाले गये निष्कर्ष विधि विपरीत हैं।

मो. प्र.
22-7-44